## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
**अध्यक्ष**

निगरानी प्रकरण कमांक 4051–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–10–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर अपील प्रकरण कमांक 36/2014–15/अपील.

---

1–श्रीमती रामगेणाबाई पिता जगन्नाथ पति शंकरलाल कलौता
निवासी ग्राम छोटा बेटमा तहसील देपालपुर जिला इंदौर
2–छीताबाई उर्फ सीताबाई पिता जगन्नाथ पति रणजीत मृत
तर्फे वारिस अ–रमेश पिता रणजीत
ब –चन्दर पिता रणजीत
स–माणक पिता रणजीत
निवासीगण ग्राम बैगंदा तहसील देपालपुर
जिला इंदौर म0प्र0
3–रामकन्याबाई पिता जगन्नाथ पति स्व.अनुपसिंह
निवासी ग्राम छोटी कलमेर तहसील देपालपुर जिला इंदौर
4–हरीराम पिता स्व0हीरासिंह
5–मनीराम पिता स्व0हीरासिंह
6–श्रीराम पिता स्व0हीरासिंह
7–कनीराम पिता स्व0हीरासिंह
निवासीगण ग्राम रोजड़ी तहसील हातोद जिला इंदौर म0प्र0

.....आवेदकगण

**विरूद्ध**

1–शिवनारायण पिता स्व0रामसिंह
2–बालाराम पिता स्व0रामसिंह
3–तोलाराम पिता स्व0 रामसिंह
4–श्यामसिंह पिता स्व0रामसिंह
5–सत्यनारायण पिता स्व0रामसिंह
सभी निवसीगण ग्राम रोजडी तहसील हातोद जिला इंदौर

.....अनावेदकगण

श्री बी0एल0मोदी एवं प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

## :: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/9/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण नें तहसीलदार द्वारा ग्राम हातोद की नामान्तरण पंजी क्रमांक 49/20–7–1998 पर पारित आदेश दिनांक 20–8–1998 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 20–6–2014 को लगभग 16 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की । चूँकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी इसलिये आवेदकगण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत विलम्ब क्षमा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 17/अपील/2013–14 दर्ज कर दिनांक 16–9–14 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त करते हुये अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21–10–2014 को आदेश पारित कर अपील अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार न्यायालय के समक्ष आवेदकगण उपस्थित नहीं हुये है और न ही उनके द्वारा नामान्तरण पंजी पर अँगूठा निशानी व हस्ताक्षर किये गये हैं । नामान्तरण पंजी में रामगेणाबाई की अँगूठा निशानी भी फर्जी है क्योंकि रामगेणाबाई हस्ताक्षर करती है । नामान्तरण पंजी पर एक व्यक्ति द्वारा ही हस्ताक्षर किया जाना प्रतीत होता है अतः नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश आवेदकगण के पीठ–पीछे पारित किये जाने के कारण समय सीमा का बंधन लागू नहीं होता है । यह भी कहा गया कि नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश से भूमिस्वामीयों के नाम कम कर दिये गये हैं, अतः ऐसा नामान्तरण

हस्तान्तरण/ हकत्याग की श्रेणी में आता है जिसमें मुद्रांक शुल्क की चोरी होना भी परिलक्षित होती है क्योंकि हस्तान्तरण एवं हकत्याग करने संबंधी कोई भी दस्तावेज पंजीबद्ध नहीं कराये गये हैं, अतः तहसील न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार रहित होकर अवैध आदेश है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि नामान्तरण आदेश एवं बटवारा आदेश पृथक–पृथक धाराओं में पारित किये जाते हैं और दोनों आदेश नामान्तरण पंजी पर पारित नहीं किये जाते हैं । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारे की कार्यवाही नामान्तरण पंजी पर नहीं की जा सकती है क्योंकि नामान्तरण नियमों के अन्तर्गत फर्द बटावारा तैयार कर एवं फर्द बटवारा पर उभयपक्ष को सुना जाना नामान्तरण पंजी पर संभव नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है, जिसके विरूद्ध समय सीमा का बंधन नहीं रहता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष धारा 5 के आवेदन में विलम्ब का समुचित कारण दर्शाया गया था जिसको नहीं मानने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा भी भूल की गई है । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार की जाये ।

4/ अनावेदकगण प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे है इसलिये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नामान्तरण पंजी कमांक 49/20–7–1998 पर पारित आदेश दिनांक 20–8–1998 से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी पर नामान्तरण एवं बटवारा आदेश पारित किया गया है, जबकि नामान्तरण संहिता की धारा 109/110 के अन्तर्गत किया जाता है और बटवारा संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत और दोनों धाराओं में पृथक–पृथक प्रावधान हैं । अतः पृथक–पृथक प्रावधान होने से नामान्तरण पंजी पर एक साथ नामान्तरण एवं बटवारा आदेश पारित करने में तहसील न्यायालय द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है । इसके अतिरिक्त संहिता की धारा 178 के प्रावधान के

अनुरूप नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित किया जाना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है क्योंकि संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारे की प्रकिया विस्तृत है बटवारा नियमों के अन्तर्गत विधिवत् फर्द बटवारा तैयार किया जाकर फर्द बटवारा पर आपत्ति प्राप्त कर उनका निराकरण करते हुये बटवारा आदेश पारित किया जाता है । स्पष्ट है कि नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक होकर क्षेत्राधिकार रहित आदेश है और ऐसे आदेश क विरूद्ध समय सीमा का बंधन लागू नहीं होता है तथा ऐसे आदेश को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है । इसके अतिरिक्त आवेदकगण द्वारा यह आधार लिया जा रहा है कि नामान्तरण पंजी पर उनके द्वारा कोई हस्ताक्षर नहीं किये जाकर उनके फर्जी हस्ताक्षर किये गये है । ऐसी स्थिति में समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता एवं अनुचित कार्यवाही की गई है क्योंकि सामान्यतः प्रकरण का निराकरण समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर नहीं किया जाकर गुणदोष के आधार पर किया जाना चाहिये जिससे पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है और चूँकि अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है इसलिये उनका आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार का आदेश भी अवैधानिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–10–2014 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–09–2014 तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 20–08–1998 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उभयपक्ष को सुनकर पुनः निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

( मनोज गोयल )
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर